

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2019/80

दिनांक : 11/11/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा सत्र 2018-2019 में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा	संस्था का नाम जिससे परीक्षा दी जानी है
1	श्री गौरव शर्मा सहायक रेडियोग्राफर	जेकेलोन अस्पताल जयपुर	एम.ए. फाईनल (इतिहास)	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
2	श्रीमती शबाना बानो सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी पीसांगन अजमेर	बीएससी पार्ट-1	एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर
3	सुश्री रसना जाटव सहायक रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	बीएससी पार्ट-1	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
4	सरोज सारण नेत्र सहायक	सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़	बी.ए. पार्ट-1	एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर
5	श्री लक्ष्मण राम नेत्र सहायक	राजकीय सु.ब.चिकित्सा. सुजानगढ़ चूरु	एम.ए.प्रथम वर्ष	वर्धमान महावीर खुला विश्व. कोटा
6	श्री कमल कुमार सैनी नेत्र सहायक	सीएचसी मालाखेड़ा अलवर	बीएससी पार्ट-1	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
7	श्री योगेश कुमार सैनी सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी आमेर, जयपुर	बीएससी पार्ट-1	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
8	श्री कुशल कुमार गोयल सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी खण्डार, सवाई माधोपुर	बीएससी पार्ट-1	कोटा विश्वविद्यालय
9	श्रीमती गायत्री देवी सहायक रेडियोग्राफर	न्यू मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कोटा	एमएससी (जूलॉजी)	वर्धमान महावीर खुला विश्व. कोटा

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- 2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का, प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्यहित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
- 11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- 13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जावेगा।
- 14 राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा।
3. अधीक्षक, सरपदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जेकेलोन) जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/अलवर/जयपुर प्रथम/सवाई माधोपुर
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर/सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर/सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़/सुजानगढ़ चूरू
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, पीसांगन, अजमेर/मालाखेड़ा, अलवर/आमेर, जयपुर/खण्डार, सवाई माधोपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

~~11/4/19
20~~